

FORM NO. III

फर्द अहकाम (नियम-26)



(नरेश सोनी)

बैठारसीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर

बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कृषि ग्राम पंचायत

पंच

नियम

अज अढालत

बनाम




रहेलीमदार पंचप्रदरा

किस्म मुकदमा

VIS 89 RTA

नं.

226/1/सन् 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 04.12.2021 | <p>वासी ने प्रशासन गांवों के कंठ किशोर केम कोई कानाना के संग उपरिष्ठ होकर वास पत्र पेश किया गया जिसमें निवेदन किया गया कि ग्राम कानाना के होकर ख. सं. 919/684 रकबा 5.12 कीला वाइ गुल्टर झारजी में वासी का नाम न्यूनाराम पुत्र हरिराम दर है, जककि वासी के छिटा का सही नाम समरप्राराम है। जिसे दुरुस्ती कराने का निवेदन किया प्रतिकारी रहेलीमदार, पंचप्रदरा ने इककाली जवाकदला पेश कर</p> | <p> नं. न्यूनाराम   44.</p> |
| | <p>(नरेश सोनी) बैठारसीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कृषि ग्राम पंचायत कानाना पंच ओम</p> | |

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

निवेदन किया गया कि वादगुप्त
झारजी में वादी के वलीम
गलत दर्ज होने से पुनरात्म
पुत्र हरिराम के स्थान पर झनका
पुत्र समरधराम दर्ज कराने की
अनुशंसा की गई।
वादी के नाम को स्वीकार
कर भोजा कानाना के क्षेत्र खसरा
नं. 979/684 रकबा 5.12 बीघा वादगुप्त
झारजी में वादी का नाम पुनरात्म
पुत्र हरिराम के स्थान पर पुनरात्म
पुत्र समरधराम घोषित किया जाता
है, तहसीलदार, मन्थपुरा, तरापुर
राजस्व रेकॉर्ड में झमलधराम करे।

(निदेश जारी)
अधीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एदेन सहायक कलक्टर
बालीतरा, प्रशासन गोशों के संग अधिवान 2021
हुक्म नाम पंजाबत धानावा एस. बालीतरा